<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>04-03-2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट से संबंधित उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में स्थित कृषि भूमि के रूप में **29.51 लाख रुपए** कीमत की 15 अचल संपत्तियों और 4 बैंक खातों में **16.41 लाख रुपए** को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से जब्त किया है।

ईडी ने डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के प्रतिनिधि प्रत्यूष शुक्ला और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत ईओडब्ल्यू, यूपी पुलिस द्वारा दर्ज 17 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव अतहर फारूकी उर्फ मोहम्मद अतहर पुत्र मो. अहमद और डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की परियोजना निदेशक श्रीमती लुईस खुर्शीद पत्नी सलमान खुर्शीद के खिलाफ सभी 17 मामलों में यूपी पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

ईडी की जांच से पता चला कि ट्रस्ट द्वारा प्राप्त 71.5 लाख रुपए की अनुदान सहायता का उपयोग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शिविरों के आयोजन के लिए नहीं किया गया। ट्रस्ट के प्रतिनिधि, प्रत्यूष शुक्ला, ट्रस्ट के सचिव, मोहम्मद अतहर**,** ट्रस्ट की परियोजना निदेशक श्रीमती लुईस खुर्शीद द्वारा इसे ट्रस्ट के हित और उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए शोधित किया गया । इस तरह, अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त धनराशि को उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए शोधन किया गया और अपराध की आय अर्जित की गई।

आगे की जांच जारी है।